राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर।

निगम स्वामित्व वाले बस स्टैण्डों/कार्यशाला /कार्यालय एंवम् खुले स्थान पर होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड, पिलर बोर्ड, यूनिपोल, साइन बोर्ड आदि जहाँ है जैसी है (As is where is basis) के आधार पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु हेतु ई-बोली:-

कमांक:-एफ168-V/मु0/प्रशा./वि.के./2023/1376 दिनांक 03/02/2023

ई-टेण्डरिंग सूचना संख्या 05/2022-23

निगम स्वामित्व वाले बस स्टैण्डों/कार्यशाला /कार्यालय एंवम् खुले स्थान पर उपलब्ध /लगाये जाने वाले अनुमानित होर्डिंग्स,ग्लो साइन बोर्ड, पिलर बोर्ड,यूनिपोल, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन जहाँ है जैसी है (As is where is basis) के आधार पर सोल लाइसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिगं प्रकिया द्वारा ऑन लाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबधित विवरण वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in एंवम् स्टेट पोर्टल (sppp) पर देखें ।

इस निविदा संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

कम सं.	निविदा संबंधी विवरण	दिनांक एवं समय
1	निविदा सूचना जारी होने की तिथि	03.02.2023
2.	निविदा प्रपत्र शुल्क (F.A. R.S.R.T.C Jaipur को देय)	400/- (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र)
3	धरोहर राशि (F.A. R.S.R.T.C Jaipur को देय)	37,50,000 /-(अक्षरे सैंतीस लाख पचास हजार रूपये मात्र)
4.	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (M.D. RISL Jaipur को देय)	2,500/-(अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये मात्र)
5	निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/ डाउनलोड करने की अवधि	03.02.2023 से 08.03.2023 तक समय: प्रातः 11:00 बजे तक।
6	प्री बिड दिनांक	15.02.2023 समय 12.30 बजे।
7.	तकनीकी निविदा **प्रस्ताव** खोले जाने की दिनांक एवं समय	08.03.2023 समय 15:30 बजे।
8.	आरक्षित दर	25,00,000/-(अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र) प्रतिमाह+GST

नोट:-

1. निविदा की समस्त प्रकिया ऑनलाइन होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय निविदाएं खोली जाएंगी।
3. निविदादाता निगम स्वामित्व वाले बस स्टैण्डों/कार्यशाला /कार्यालय एंवम् खुले स्थान पर होर्डिंग्स,ग्लो साइन बोर्ड, पिलर बोर्ड,यूनिपोल, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन हेतु सोल लाइसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिगं प्रकिया द्वारा ऑन लाइन निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है ।
4. निविदा प्रपत्रों में निविदा कर्ता के लिए सूचना एवं निविदा कर्ता की पात्रता आदि की शर्ते निगम वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. निविदा प्रपत्र में डाउनलोड/आवेदन करते समय निविदा शुल्क 400 रूपये एवं धरोहर राशि 37,50,000/- रू. की डी.डी. संख्या दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित करे।
6. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 08.03.2023 को 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

7. कोई भी टैण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. निविदाओं मे भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए.(C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदा दाताओं के पास वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

9. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि (F. A., R.S.R.T.C. को देय) को डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी तथा टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी. आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी. देय होगी यदि निविदादाता द्वारा दिनांक. 08.03.2023 को 15.00 बजे तक उक्त डी.डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

10. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

11. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदा दाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

12. ऑनलाइन निविदाएं निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।

13. टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।

14. तकनीकी एंव वित्तीय निविदायें अलग–अलग खोली जायेगीं इसलिए दोनों निविदायें अलग अलग ऑन लाइन भरी जायेगीं एवम् उस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी/वित्तीय निविदा (जैसी भी स्थिति हो) अंकित हो। तकनीकी रूप में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेगीं अन्य निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

निगम स्वामित्व वाले बस स्टैण्डों/कार्यशाला /कार्यालय एंवम् खुले स्थान पर होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड , पिलर बोर्ड , यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि जहाँ है जैसी है (As is where is basis) के आधार पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु **निविदा की शर्तें निम्नानुसार है:–**

1 बस स्टैण्डों पर होर्डिंग्स आदि की साइज एंव उपलब्ध/लगाये जाने वाले होर्डिंग्स की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार होगी:–

(अ) होर्डिंग्स– (साइज 20 X 10 फुट अधिकतम्) संलग्न सूची के अनुसार (As is where is basis)

(ब) पिलर बोर्ड– (साइज 4 X 3 फुट अधिकतम्) संलग्न सूची के अनुसार (As is where is basis)

(स) साइन बोर्ड– (साइज 6 X 2 फुट अधिकतम्) संलग्न सूची के अनुसार (As is where is basis)

(द) ग्लो साइन बोर्ड –(साइज 6 X 2 फुट अधिकतम्) संलग्न सूची के अनुसार (As is where is basis)

(य) यूनीपोल– संलग्न सूची के अनुसार (As is where is basis) (अन्य प्रस्तावित निविदा में 43 एल ई डी यूनिपोल के स्थान को छोडते हुए , जिसकी सूची संलग्न है)

नोटः– 1. लाइसेंसी को उक्त के अतिरिक्त बस स्टैण्डों पर वाल पेन्टिगं तथा आडियों विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2. उपरोक्त क. स. 1 (अ) से (य) जहाँ है जैसी है (As is where is basis) के आधार पर उपलब्ध है तथा इनकी उपलब्ध/लगाये जाने वाले होर्डिंग्स आदि की संख्या की सूचना कार्यादेश से पूर्व संबधित आगार के मुख्य प्रबंधक से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा कार्यादेश भी तदनुसार ही जारी किया जायेगा। एक बार सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें कमी अथवा वृद्वि मुख्यालय की अनुमति से ही संबधित आगार के मुख्य प्रबंधक से NOC प्राप्त कर की जा सकेगी तथा लाइसेंस फीस भी आनुपातिक आधार पर पुनः निर्धारित की जावेगी। लाइसेंसी को तदनुसार पुनः निर्धारित की गयी लाइसेंस फीस चुकानी होगी।

3. बस स्टेण्डो की सूची संलग्न है। संलग्न सूची में कुछ होर्डिंग्स आदि के इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्व से ही लगे हुए हैं तथा लगे हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त इन्फास्ट्रक्चर लाइसेंसी फर्म को स्वयं के खर्च से लगाने होंगें तथा ये इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पांच वर्ष पश्चात् निगम स्वामित्व के हो जावेगें।

2. निविदादाता फर्म का भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा अन्य वांछित अधिनियम के तहत् पंजीकृत होना आवश्यक है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।फर्म को किसी विभाग/संस्था में होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड, पिलर बोर्ड ,यूनिपोल, साइन बोर्ड आदि लगाने का तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा साथ ही फर्म को गत तीन वर्ष की आयकर रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी। यदि निविदादाता / कम्पनी / संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है अथवा प्रदत्त सूचना असत्य एवं अपूर्ण पायी जाती है तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त / अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

3 **बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में 50 लाख रूपये का टर्नओवर होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।**

4 बस स्टैण्ड पर लाइसेन्सधारी स्थानीय ,नियमों के अनुसार बस स्टैण्ड प्लेट फार्म/कार्यशाला /कार्यालय एंवम् खुले स्थान पर उपलब्ध स्थान पर यात्रियों/कर्मचारियों की सुविधा एंव बस स्टैण्ड परिसर की सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए संबधित मुख्य प्रबन्धक की इजाजत के अनुसार होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड , पिलर बोर्ड ,यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि लगा सकेगें। लाइसेंन्सी द्वारा विधुत खर्चे के लिए अलग से प्रतिभूति राशि 30000/–रु. संबधित आगार में जमा करानी होगी जिस आगार मे वह होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड , पिलर बोर्ड ,यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि लगाना चाहता है। लाइसेंसधारी को स्वयं के खर्चे पर प्रमाणित मार्का का सब मीटर लगाना होगा जिसकी प्रथम रीडिंग निगम के रिकार्ड पर नोट की जाकर सब मीटर पर निगम की विशेष सील लगाई जावेगी उस सील को सुरक्षित रखने का दायित्व लाइसेन्सी का होगा जिसका नियमों के अनुसार मासिक भुगतान करना होगा । निगम के पास अतिरिक्त विधुत क्षमता उपलब्ध होगी तब ही लाइसेन्सी को विधुत उपलब्ध करवाई जावेगी जिसके फलस्वरूप निगम के अन्य कार्य प्रभावित नही होते हो तथा निगम लाइसेन्सी को विधुत उपलब्ध कराने के लिये बाध्य नहीं होगा एंव इसमें हानि व अन्य दोष के कारण निर्धारित लाइसेन्स शुल्क मे कोइ छूट/रियायत स्वीकार्य नही होगी।

5 लाइसेन्सी को यह अधिकार होगा कि वह जब भी चाहे उन्हे सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर लगाये हुए होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड, पिलर बोर्ड, यूनिपोल, साइन बोर्ड पर विज्ञापन को लगा सकता है या हटा सकता है।

6 अनुबन्ध 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं प्रथम वर्ष के व्यतीत होते ही द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लाइसेंस शुल्क की राशि पर लाइसेंसी को 10 प्रतिशत वार्षिक की स्वतः वृद्धि कर निर्धारित समय पर जमा करानी होगी। इसके बाद आगामी वर्षों के लिए इस द्वितीय वर्ष के पश्चात् हुई वृद्धि में लाइसेंसी द्वारा स्वतः ही 10 प्रतिशत वार्षिक की अतिरिक्त वृद्धि कर निर्धारित समय पर लाइसेंसी को शुल्क जमा कराना होगा।

7 अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् एवं दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायायिक एवं विज्ञापन शुल्क, लाइसेंस शुल्क बकाया न होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम् 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 30 माह तक के लिये नवीनीकरण किया जा सकता है, जिसके निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

8 विज्ञापन प्रदर्शित करने की एवज में लाइसेंसी द्वारा अनुबन्ध अवधि में निर्धारित राशि के अनुसार विज्ञापन शुल्क अग्रिम छःमाही प्रथम माह की 10 तारीख तक देय होगा।

9 निर्धारित दर के अनुसार अग्रिम छः माह की कुल लाईसेंस शुल्क राशि (एक मुश्त टुकडों में नही) का भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा:-

क. सं.	जमा का विवरण	जमा की दिनांक को फीस नही करवाने पर शास्ति
1	प्रति छःमाही के प्रथम माह की 10 तारीख	----------------------------
2	प्रति छःमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 15 दिवस की देरी करने पर	देय दिनांक से 500 रू प्रतिदिवस
3	प्रति छःमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 16 से 30 दिवस की देरी करने पर	देय दिनांक से 1000 रू प्रतिदिवस
4	प्रति छःमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात 31 से 60 दिवस की देरी करने पर	देय दिनांक से 2000 रू प्रति दिवस
5	प्रति छःमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के 60 दिवस पश्चात	फर्म की सम्पूर्ण अमानत राशि व सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध को समाप्त करना एवं फर्म को तीन वर्ष के लिये किसी भी बोली में भाग लेने के लिये ब्लैक लिस्ट करना ।

10. निविदा के समय बस स्टैण्डों के लिए सलंग्न सूची अनुसार धरोहर राशि रू. 3750000/-

(अक्षरे सैतीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) की डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में F. A., R.S.R.T.C. के नाम से संलग्न करनी होगी । चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदादाताओं की राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।

11. निगम द्वारा जिस निविदा दाता के प्रस्ताव स्वीकार किये जावेगे उन्हे इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप में छः माह स्वीकृत लाइसेंस फीस के बराबर की राशि की राष्ट्रीयकृत शिड्यूल बैंक की बैंक गारन्टी अनुबन्ध अवधि के 6 माह पश्चात् की वैधता अवधि तक की प्रस्तुत करनी होगी एंव अनुबन्ध करना होगा। यह राशि धरोहर राशि रूपये 3750000/-(अक्षरे सैतीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तो की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्ति के छः माह पश्चात् बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि निविदाकर्ता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में अनुबन्ध नहीं करता एंव निर्धारित सुरक्षा राशि की बैंक गारण्टी जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा जमा करायी गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

12 नई एजेन्सी को कार्यादेश दिनांक से 15 दिवस का समय होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड , पिलर बोर्ड ,यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि के लिये दिया जावेगा, तथा आदेश दिनांक से 15 दिन बाद लाइसेंस फीस देय होगी ।

13 लाइसेंसी का यह लाइसेंस पूर्ण रूप से अहस्तान्तरणीय होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पाया गया तो सम्पूर्ण सुरक्षा/धरोहर राशि जब्त करने के साथ लाइसेंस समाप्त करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा एंव इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने व कानूनी कार्यवाही का भी पूर्ण अधिकार निगम को होगा।

14 स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापन पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के टेक्स/प्रभार/जी एस टी/शुल्क आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी साथ ही प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त भविष्य में यदि कोई टैक्स/सैस/प्रभार लगाया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व लाइसेंसी का होगा । करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नही होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त

दायित्व लाइसेंसी का ही होगा । यह राशि लाइसेन्सी द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में लाइसेन्सी की जमा सुरक्षा राशि बैंक गारण्टी में से इसका भुगतान कर दिया जायेगा। जिसका पुर्नभरण लाइसेन्सी द्वारा 15 दिवस के अन्दर–अन्दर करना होगा तथा वह इस प्रकार की स्थिति से उत्पन्न अन्य जिम्मेदारी के लिए भी उत्तरदायी होगा।

15 लाइसेंस की शर्त के अनुसार लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस शुल्क 15 दिवस तक जमा नही कराये जाने पर निगम बिना किसी नोटिस के लाइसेन्सी के समस्त होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड, पिल्लर बोर्ड ,यूनिपोल, साइन बोर्ड आदि जब्त कर सकेगा तथा लाइसेंस रद्द कर धरोहर एंव सुरक्षा राशि /बैंक गारण्टी जब्त कर सकेगा एंव बकाया राशि वसूल की जा सकेगी । जब्त सामग्री को बकाया राशि की वसूली हेतु नीलाम व अन्य उपलब्ध कानूनी प्रकिया से भी करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।

16 लाइसेंसी द्वारा होर्डिंग्स,ग्लो साइन बोर्ड , पिल्लर बोर्ड ,यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक की अनुमति से ही उपलब्ध कराये गये स्थल पर संबंधित बस स्टैण्डों पर लगाये जा सकेगें।

17 **अनुबन्ध अवधि में कार्यादेश के समय** उपलब्ध/लगाये जाने वाले अनुमानित **होर्डिंग्स , ग्लो साइन बोर्ड , पिल्लर बोर्ड, यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि की संख्या में वृद्वि होती है तो आपसी वार्ता के पश्चात/ निर्णय के बाद ही लाइसेंस फीस में आनुपातिक वृद्वि करते हुए नये होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड , पिल्लर बोर्ड ,यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि हेतु स्वीकृति प्रदान की जावेगी एवं वर्तमान संख्या में वृद्वि किये जाने वाले इन्फास्ट्रक्चर पॉच वर्ष पश्चात निगम के स्वामित्व के हो जायेगें।**

18. **निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बस स्टैण्डों/कार्यशालाओं आदि की सूची में दर्शाई गई होर्डिंग्स की संख्या के अलावा यदि लाइसेंसी द्वारा होर्डिंग्स आदि लगाये जाते हैं तो निर्धारित लाइसेंस फीस के अतिरिक्त नये लगाये गये होर्डिंग्स पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस देय होगी तथा नये लगाये गये होर्डिंग्स आदि पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत चकवृद्वि की दर से लाइसेंस फीस में वृद्वि की जायेगी तथा पुराने होर्डिंग्स आदि की संख्या पर यथावत 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ही वृद्वि रहेगी।**

19 राज्य/केन्द्र सरकार एवं निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन बस स्टैण्डों पर करने की आवश्यकता हुई तो वह संलग्न सूची सहित निगम के किसी भी बस स्टैण्ड पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें । इसके लिए लाइसेंन्सी को किसी प्रकार की छूट विज्ञापन शुल्क/लाइसेंस शुल्क में नही दी जावेगी।

20 लाइसेंसी के होर्डिंग्स/पिल्लर बोर्ड आदि की किसी भी कारण से चोरी हो जाने/गिर जाने/जलने/प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति का दायित्व स्वयं लाइसेंसी का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।

21. लाइसेंस के होर्डिंग /पिल्लर बोर्ड/यूनिपोल आदि से किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की जान–माल की हानि होने पर होने वाली क्षति का सम्पूर्ण दायित्व स्वंय लाइसेंसी का होगा तथा इससें उत्पन्न कानूनी दायित्वों के लिए भी लाइसेंसी स्वंय जिम्मेदार होगा। निगम द्वारा किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नही की जायेगी।

22 लाइसेंसी द्वारा किसी प्रकार के नशीले पदार्थ पान मसाला गुटखा एवं तम्बाकु के उत्पाद के विज्ञापन/ अश्लील विज्ञापन अथवा केन्द्र/राज्य सरकार स्थानीय /स्वायत्तशासी संस्थान एंव निगम द्वारा प्रतिबंधित या जनहित में मना करने पर किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा तथा उसके उल्लधंन पर होने वाली हानि के लिए लाइसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा व विज्ञापन पट्ट हटाने पर निगम द्वारा किये गये खर्चे की वसूली लाइसेन्सी से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

23 निगम द्वारा बस स्टैण्डों पर वाहन संचालन के स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई व कोई निर्माण कार्य या सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता हुई तो निगम द्वारा 7 दिवस के नोटिस दिये जाने पर लाइसेन्सी को समस्त होर्डिंग्स विज्ञापन पट्ट /साइन बोर्ड अपने खर्चे पर अनिवार्य रूप से हटाने होगें अन्यथा इसमें लापरवाही बरतने पर या नहीं हटाने पर निगम द्वारा किये जाने वाले समस्त प्रकार के खर्चों की वसूली लाइसेंसी से की जावेगी एव विज्ञापन सामग्री की टूटफूट के लिये निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । उक्तानुसार होर्डिंग्स /विज्ञापन पट्ट /साइन बोर्ड आदि हटने से लाइसेन्स फीस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जावेगी।

24 लाइसेन्सी को श्रम कानून व भविष्य निधी कानून तथा अन्य संबधित कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। लाइसेंसी द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंघन किया जावेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

25 अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर निगम को अनुबन्ध को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसी दशा में जमा धरोहर/सुरक्षा राशि / बैंक गारन्टी जब्ती के साथ अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु निगम अधिकृत होगा।

26. बोली प्रकिया में परिनिर्धारित नुकसानी (Liquidated Damages) के प्रावधान लागू होगें। निबंधन एंव शर्ते उनके समान होगी जो खुली प्रतियोगी बोली द्वारा बिड प्रकिया के लिए विहित की गई है।

27. लाइसेंस अवधि में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी कोई क्षतिपूर्ति अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को देय नहीं होगी। यदि अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाइसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक से 6 माह तक अनिवार्य रूप से कार्य करना ही होगा तथा उसके पश्चात 6 माह पूर्व अनुबंध समाप्त करने की सूचना निगम को देनी होगी (अर्थात एक वर्ष की अवधि की लाइसेंस फीस का भुगतान निश्चित रूप से करना ही होगा)। 6 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की जमा धरोहर एंव सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

28. निगम की अनुबन्ध अवधि में बस स्टैण्डों पर विज्ञापन करने की सुविधा हेतु उनके द्वारा दो अधिकृत व्यक्तियों के लिए पास पोर्ट साइज की दो फोटो आधार पास प्रति व्यक्ति के आधार पर दो निःशुल्क फ्री यात्रा हेतु दिये जावेगें जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मात्र राजसथान की सीमा में स्थापित आगार / बस स्टैण्डों के लिये मान्य होगें। विज्ञापन सामग्री ऐसी हो जिसे ले जाने में किसी प्रकार से यात्रियों को असुविधा न हो एंव वह सामग्री बस में ले जाने योग्य हो , को ही निःशुल्क ले जा सकेगें। लाइसेंसी केवल अपने विज्ञापन लगाने सम्बन्धी सुविधा के लिए ही इसका उपयोग करेगा इसमें किसी प्रकार का दुरूपयोग पाये जाने अथवा लाइसेंसी द्वारा अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने पर बिना किसी नोटिस के यह सुविधा समाप्त की जा सकती है इस हेतु लाइसेंसी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

29. युद्व/दंगें/जन विद्रोह/बन्द/हडताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम के निर्धारित स्टैण्डों पर वाहनों का संचालन निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो लाइसेंन्सी को इस आकस्मिक घटना की एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत विज्ञापन शुल्क /लाइसेंस शुल्क में स्वीकार्य नही होगी तथा अन्य जगह से किये गय वाहन संचालन पर विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित करने की स्वीकृति देना निगम के लिये बाध्य नहीं होगा ।

30 लाइसेंस समाप्ति पर लाइसेंसी को होर्डिंग्स/साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड एवं पिल्लर बोर्ड आदि पर लगे विज्ञापन 15 दिवस में स्वयं के खर्चे पर हटाने होगें।

31. बिड प्रकिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम अपील सुनने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय अधिकृत होंगे। यदि निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक ही पद हो तो प्रथम अपील सुनने हेतु निम्नुसार कमेठी गठित की जावेगीः–

क. वित्तीय सलाहकार,

ख. कार्यकारी निदेशक(विधि)

तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (यदि दोनों एक ही पद हो तों) अधिकृत होंगे।

32- अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगा।

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION:

(I) **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated

03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with e office order referred to above.

Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlines vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017 referred to above or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee consisted thereunder, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended

33. जिस बोलीदाता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप लगभग निविदा शर्तो के अनुरूप होगा ।
34. निविदा प्रस्ताव केवल इ–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगें।
35. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट–छांट न हो, प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षर कर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखे।
36. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।
37. किसी भी निविदा को स्वीकृत करना निगम के लिये बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
38. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/ विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
39. किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई संस्था/निविदादाता फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी फर्म द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर फर्म की धरोहर राशि जब्त की जावेगी ।
40. उक्त निविदा के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त न्यायिक विवादों के निपटारे का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
41. बोली वैधता अवधि 90 दिवस होगी।
42. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करे ।
43. मैने उक्त सभी शतो को ध्यानपूर्वक पढ लिया है तथा उक्त सभी शते मुझे स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर

निविदादाता मय मोहर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर

निगम के बस स्टेण्डों पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु प्रपत्र

ई– तकनीकी निविदा – प्रपत्र

(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ–168–V/मु0/वि0/23/ दिनांकः–

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400/–

(अक्षरेः– चार सौ रूपयें)

डी.डी. सं0————————दिनांक————————

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————

2. टेलीफोन नम्बर/मो0 ——————————————————————————
कार्यालय– ——————————————————————————
निवास ——————————————————————————

3. टेलेक्स नं0 ——————————————————————————

4. धरोहर राशी :– रूपयें—————————— अक्षरें ——————————

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक ——————————————————————————

6. फर्म/कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.——————————————————

7. बैंक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.एस.सी संख्या ——————————————————

8. निविदा दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।

9. निविदा प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नामः–

हैसियतः– मालिक/पार्टनर

पूर्ण पताः–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर

ई–वित्तीय निविदा – प्रपत्र

(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ168–VI / मु0 / वि0 / 23 / दिनांकः–

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400 / –

(अक्षरेः– चार सौ रूपयें)

डी.डी. सं0———————दिनांक——————

1. फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ———————————————

———————————————

———————————————

2. टेलीफोन नम्बर / मो0 ———————————————

कार्यालय– ———————————————

निवास ———————————————

3. टेलेक्स नं0 ———————————————

5. धरोहर राशि :– रूपयें—————— अक्षरें ——————

5. ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक ———————————————

6. देय लाइसेन्स राशि रूपये प्रतिमाह रूपये———————————————

(अक्षरे)———————————————

7. फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.——————————

8. बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.एस. सी संख्या ——————————

9. निविदा दाता की चल / अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।

पूरा नामः–

हैसियतः– मालिक / पार्टनर

पूर्ण पताः–

घोषणा–पत्र

बोलीदाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डीजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1 मैं/हम डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर ———————— दिनांक————————राशि रूपयें ———————— अक्षरें————————————जो कि वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तो की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध–पत्र पर हस्ताक्षर कर दूँगा / देगें ।

3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।

4 मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव तीन माह की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर–बोलीदाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

ANNEXURE- A

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

Any person participating in a procurement process shall –

a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.

d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.

e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.

f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.

g) disclose conflict of interest, if any and

h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST :

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to :

a) have controlling partners/shareholders in common; or

b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or

e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or to proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- B

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their notice inviting Bid No. .... Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

01. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

02. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Documents;

03. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

04. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to entire to a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

05. I/we do not have conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of Bidder with seal
Name :
Designation :
Address :

ANNEXURE- C
GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS
As per bid condition No. 39
01. **Filing an appeal**

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.
Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.
Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
02. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

04. **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :
a) determination of need of procurement;

b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

c) the decision of whether or not to enter into negotiation;

d) cancellation of a procurement process;

e) applicability of the provisions of confidentiality.

05. **Form of Appeal**

a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

06. **Fee of filing appeal**

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

07. **Procedure for disposal of appeal**

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

Signature of tenderer with seal

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) here all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the perties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of tenderer with seal

FORM No.1 [See rule 83]

MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

01. Particulars of appellant :

(i) Name of Appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

02. Name and address of the respondent(s) :

(i)

(ii)

(iii)

03. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the act by which the appellant is aggrieved :

04. If the Appellant proposes to be represented by a

representatives, the name and postal address of the representative :

05. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

06. Ground of appeal :

....
....
.... (supported by an affidavit)

07. Prayer :

....
....
....

Place : ....

Date : ....

Appellant's Signature

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. **Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

(i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained b y multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities :**

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods) :**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of tenderer with seal

निगम स्वामित्व वाले बस स्टैण्डों/कार्यशाला /कार्यालय एंवम् खुले स्थान पर उपलब्ध /लगाये जाने वाले अनुमानि.त होर्डिंग्स, ग्लो साइन बोर्ड , पिल्लर बोर्ड , यूनिपोल , साइन बोर्ड आदि "जहाँ है जैसी है" (**As is where is basis**) की सूची

S.No.	Place	BS/WS	Hording 20'x10'	Pillar Board 4'x3'	Sign Board 6'x2'	Glow Sign 6'x2'	Unipoles
1	Aaspur	BS	5	5	5	5	
2	Abu Road	WS/BS	4	10	10	4	
3	Achal Garh	BS	2	0	0	0	
4	Ahor	BS	4	4	4	0	
5	Alwar	WS/BS	7	0	0	0	3
6	Anoopgrah	BS	10	10	10	0	
7	Ajitgarh	BS	0	0	0	0	
8	Baggar	BS	2	4	4	0	
9	Bandanwara	BS	4	2	4	0	
10	Bandikui	BS	4	0	0	0	
11	Banswara	WS/BS	10	20	5	3	
12	Bar	BS	2	0	0	0	
13	Baran	WS	8	2	2	2	
14	Barodamave	BS	0	0	0	0	
15	Beawar	BS	20	10	10	10	
16	Bharatpur	WS/BS	8	20	10	10	
17	Bhilwara	WS/BS	10	10	4	8	
18	Bikaner	WS/BS	20	16	40	0	
19	Bilara	BS	4	6	7	0	
20	Bundi	WS/BS	13	10	10	10	
21	Bassi	BS	0	0	0	0	
22	Borawad	BS	0	0	0	0	
23	C.B.S Ajmer	BS	1	0	0	0	11
24	C.B.S. Jaipur	BS	16	37	0	0	
25	Chaksu	BS	2	2	0	0	
26	Chattergarh	BS/WS	10	15	15	10	
27	Chauhtan	BS	4	0	0	0	
28	Chittorgarh	WS	10	6	6	0	
29	Churu	WS	6	6	6	0	
30	Danta	BS	0	0	0	0	
31	Dausa	WS	5	0	0	0	
32	Dausa	BS	15	6	6	6	
33	Delwara	BS	2	2	0	0	
34	Deoli	BS	0	4	0	0	
35	Dhaulpur	WS New	7	5	6	0	
36	Dudu	BS	2	4	2	0	
37	Dungarpur	BS	10	10	5	5	
38	Falna	WS	8	0	0	0	
39	Ganganagar	BS	10	30	5	5	
40	Goluwala	BS	0	0	0	0	
41	Jaitaran	BS	4	2	5	0	
42	JawaharNagar JPR	BS	0	0	0	0	

43	Jhalawar	WS/BS	10	10	6	4	
44	Jhunjhunu	BS	5	20	10	5	
45	Jodhpur	BS	11	20	15	0	
46	Karoli	BS	20	10	10	0	
47	Kekri	BS	0	0	0	0	
48	Khajuwala	BS	10	10	10	10	
49	Khatushyamji	BS	0	0	0	0	
50	Khetri	WS/BS	3	5	4	4	
51	Kishangarh	BS	10	5	0	0	
52	kishan garh	New BS	0	0	0	0	
53	Khinvsar	BS	0	0	0	0	
54	Kota	BS	10	20	10	0	
55	Kota	New BS	0	0	0	0	
56	Lawan	BS	0	0	0	0	
57	Ladnu	BS	0	0	0	0	
58	Lunakransar	BS	0	0	0	0	
59	Losal	BS	0	0	0	0	
60	Mahua	BS	0	0	0	0	
61	Mahu New	BS	0	0	0	0	
62	Makrana	BS	0	0	0	0	
63	Mandaar	BS	0	0	0	0	
64	Manoharpur	BS	2	0	0	0	
65	Merta City	BS	0	0	0	0	
66	Mount Abu New	BS	10	10	10	0	
67	Mubarikpur	BS	2	0	0	0	
68	Nagaur	WS/BS	6	20	10	0	
69	Nasirabad	BS	5	5	5	2	
70	Nadbai	BS	0	0	0	0	
71	Neem Ka Thana	BS	6	0	0	0	
72	Nimaj	BS	4	0	0	0	
73	Niwai	BS	4	10	10	4	
74	Padihara	BS	2	0	0	0	
75	Pali	BS	7	6	0	0	
76	Phalodi	BS	6	10	10	0	
77	Prartapgarh	WS/BS	0	0	0	0	
78	Pachpadra	BS	0	0	0	0	
79	Pallu	BS	0	0	0	0	
80	Raipur (Pali)	BS	0	0	0	0	
81	Rajgarh (Alwar)	BS	0	0	0	0	
82	Raniwara	BS	3	3	3	0	
83	Ratanpur	BS	5	5	5	5	
84	Rupangarh	BS	0	0	0	0	
85	Rajsamand	WS	0	0	0	0	
86	Sagwara	BS	5	5	5	5	
87	Sahawa	BS	0	0	0	0	
88	Sandeo Rao	BS	10	6	10	0	
89	Sarmathura	BS	0	0	0	0	
90	Sardarsahar	BS	0	3	0	0	
91	Sawaimadhopur	WS	15	0	0	0	
92	Shahpura	BS	0	0	0	0	

93	Shiv Ganj	BS	5	4	4	0	
94	Shri Dungargarh	BS	5	0	0	0	
95	Shri Madhopur	BS	1	0	0	0	
96	Sikar	BS	15	20	15	10	
97	Simbalwara	BS	0	0	0	0	
98	Sirohi	BS	10	20	10	0	
99	Sirohi Road	BS	4	4	0	0	
100	Shergarh	BS	0	0	0	0	
101	Tijara	WS/BS	2	1	1	0	
102	Tonk	WS/BS	19	10	5	5	
103	Udaipur	WS	4	0	0	0	
104	Udaipur	BS	10	20	20	20	
105	Deluxe	WS	3	0	0	0	
106	Vidhyadhar Nagar	WS	0	0	0	0	19
107	Ajmer (Ghooghra)	WS	10	0	0	0	
108	CWS Ajmer	WS	20	0	0	0	
109	Jaisalmer	WS/BS	4	0	0	0	
110	Jhodpur	WS	5	0	0	0	
111	Tonk	WS	4	0	0	0	
	TOTAL		**541**	**520**	**369**	**152**	**33**

List of 43 Sites of LED Unipoles (Proposed)

S.NO.	Name of the Bus Stand	No. of LED TV SINGLE PIPE STRUCTURE to be installed	Letter no.	Date
1	ABUROAD	1	1038	12-11-2021
2	ALWAR	1	1285	12-10-2021
3	ALWAR (MATSYA NAGAR)	1	557	25-11-2021
4	ANOOPGARH	1	2527	17-09-2021
5	BANSWARA	1	14	12-11-2021
6	BARAN	1	2318	21-09-2021
7	BARMER	1	1878	12-11-2021
8	BEAWAR	1	3062	24-11-2021
9	BHARATPUR	1	09	10-01-2022
10	BHILWARA	1	6317	24-11-2021
11	BHINMAL JALORE	1		
12	BIKANER	1	3209	12-09-2021
13	BUNDI	1	2599	20-09-2021
14	CBS AJMER	1	1235	17-09-2021
15	CBS JAIPUR	1	3046	16-12-2021
16	CHITTORGARH	1	4289	08-12-2021
17	CHURU	1	2797	22-09-2021
18	DAUSA	1	1635	17-09-2021
19	DEEDWANA	1	685	28-10-2021
20	DHOLPUR	1	3261	11-10-2021
21	DUNGARPUR	1	2007	18-10-2021
22	FALNA	1	885	25-09-2021
23	GANGANAGAR	1	2527	17-09-2021
24	HANUMANGARH	1	3802	12-10-2021
25	JALORE	1	412	12-11-2021
26	JHALAWAR	1	711	08-10-2021
27	JHUNJHUNU	1	3659	22-09-2021
28	JODHPUR	1	682	14-10-2021
29	KAROLI	1		
30	KHETRI	1	2383	21-09-2021
31	KISHANGARH	1	739	17-11-2021
32	KOTA	1	4494	12-11-2021
33	NAGAUR	1	3415	12-11-2021
34	NAYAPURA (OLD) KOTA	1	4494	12-11-2021
35	PALI	1	2201	20-10-2021
36	PHALODI	1	1561	12-11-2021
37	SARDAR SHAHAR	1	3132	12-11-2021
38	SAWAI MADHOPUR	1	1981	09-10-2021
39	SHRIMADHOPUR	1	3309	20-09-2021
40	SIKAR	1	5082	24-11-2021
41	SIROHI	1	1111	12-11-2021
42	TONK	1	4711	09-12-2021
43	UDAIPUR	1	449	08-10-2021
	TOTAL	**43**		